



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/864

11.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अत्यावश्यक: ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 5 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर टैरिफ उदारीकरण के संबंध में सुझावों का अनुरोध

आपको सूचित किया जाता है कि रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (डीसीपीसी) इस बात पर उद्योग जगत से सुझाव मांग रहा है कि क्या भारत, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की चल रही वार्ता के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर टैरिफ को उदार बना सकता है।

इन पांच उत्पादों की सूची और भारत के संबंधित आयात डेटा को निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eo9laQigZi_RwtHMj7zXLa4_QiZKrZTC/edit?usp=sharing&ouid=108218688201736716589&rtpof=true&sd=true

सदस्य की कार्रवाई:

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुझाव दें कि क्या भारत इन एचएस कोडों के लिए टैरिफ उदारीकरण कर सकता है और यदि हां, तो टैरिफ उदारीकरण की विधि क्या होनी चाहिए – 1) तत्काल टैरिफ उन्मूलन, 2) 5 वर्षों में चरणबद्ध टैरिफ कटौती, 3) 10 वर्षों में चरणबद्ध टैरिफ कटौती।

आप अपने सुझाव संबंधित एचएस कोड का उल्लेख करते हुए bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर कल दोपहर 3 बजे (12 फरवरी 2026) तक भेज सकते हैं।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल